न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
40/2018 (GCMS 2018/00206)	04.05.2018	02.09.2022

अनवान

सरकार जरिये अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें–जोन उदयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेन्द्र कुमार बालोटिया पुत्र सोहन लाल बालोटिया, उम्र–42 वर्ष, जाति ब्राह्मण, मैसर्स राजू कोल्ड ड्रिंक्स एवं बालोटिया प्रोविजन स्टोर, रोड़वेज बस स्टेण्ड, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी म. नं. 203, आदर्श कॉलोनी, विस्तार योजना, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2–श्रीमति सुशीला देवी पत्नि कान्तिलाल पिपाड़ा, मालिक मैसर्स पिपाड़ा ट्रेडर्स लड्ढ़ा हॉस्पिटल के पास, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी–निवेदिता कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– 1–दिलीप कुमार जैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं 27 (2) (d) एफएसएस एक्ट 2006

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं 27 (2) (d) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2017 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें–जोन

उदयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/FSSA/Notification/2011/727 Dated 29-11-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28)/ नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर आवंटित किया गया था और अधिसूचना कमांक/एफएसएसए/ नोटिफिकेशन/2012/37 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उदयपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2017 को समय 04.30 पी. एम. पर मैसर्स राजू कोल्ड ड्रिंक्स एवं बालोटिया प्रोविजन स्टोर, रोड़वेज बस स्टेण्ड, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। विक्रेता को अपना परिचय पत्र दिखाकर नाम पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल बालोटिया होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन वर्ष–2017 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने वर्ष–2017 तक के लिए खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) की 600 एम एल की 20 बोतल सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड, अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड का शक होने पर, विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर उक्त Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) की 600 एम एल की 20 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए, उक्त Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) की 600 एम एल की 20 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीद की तथा इनकी कीमत 330 रू. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय की गई Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) की 600 एम एल की 20 बोतलों पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। अब इन खरीदशुदा 20 मूल बोतलों को 4 भागों में बांटा तथा प्रत्येक भाग में Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) की 600 एम एल वाली 5 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में रखी। अब इन चारों भागों पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा)

के कोड व सिरीयल नम्बर AF-931 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान, किस वस्तु का नमूना लिया आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को मोटे व मजबूत कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप संख्या AF-931 प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपडी से, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के मुँह पर, एक सील प्रत्येक नमूना भाग के पेंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना भाग की बॉडी पर, (जहाँ धागे की गांठ लगाई थी) लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चारों सील बन्द नमूना भागों पर विक्रेता के इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर दोनों पर आवे एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। प्रत्येक सील बन्द नमूना भाग पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए व चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान हो पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मालिक श्री राजेन्द्र कुमार बालोटिया ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए। फार्म नं. 5ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक राजेन्द्र बालोटिया को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नं. 5ए व फर्द रिपोर्ट मूल ही न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जमा करवा कर फार्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न हैं। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जमा करा कर इसकी रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउट कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति के आउटरकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जिसकी

असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन उदयपुर के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/962 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल एस 177/Act/2017/184 दिनांक 11.05.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) के लेबल पर Violation of regulation no. 2.2.2(3)(ii), 2.2.2(5)(ii) (b), 2.4.5(38) of food safety and standards (packaging & Labelling) regulations 2011 पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड होना पाया गया है। उक्त पत्रांक एवं जांच रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें जोन उदयपुर के पत्रांक जोन/एफएसएसए/2017/961 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा विक्रेता को एवं पत्रांक 2154 दिनांक 19.12.2017 द्वारा थोक विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्ठांकित प्रति रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रांक 1521 दिनांक 15.09.2017 द्वारा मैसर्स राजू कोल्ड ड्रिंक्स एवं बालोटिया प्रोविजन स्टोर से फर्म के मालिक/भागीदार/नोमिनी के बारे में जानकारी हेतु लिखे पत्र एवं इसके प्रत्युत्तर में फर्म द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रति माल खरीद बिल की प्रति, विक्रेता के आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं शपथ पत्र की प्रति संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन उदयपुर के पत्रांक 1938 दिनांक 14.11.2017 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने बाबत मैसर्स पिपाड़ा ट्रेडर्स लड्ढा हॉस्पिटल के पास निम्बाहेड़ा को लिखा पत्र की कार्यालय प्रति एवं इसके प्रत्युत्तर में फर्म से प्राप्त पत्र की प्रति, खाद्य अनुज्ञा पत्र की फोटोप्रति, वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा जारी फार्म–बी की फोटोप्रति, एसटी–4 की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, जीएसटी आरइजी–25 की फोटो प्रति संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर को दिनांक 29.01.2018 को प्रस्तुत की एवं अभिहित अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक जोन/एफएसएसए/2018/230 दिनांक 29.01.2018 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड

खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ किस निर्माता से प्राप्त किया है का बिल अथवा वारण्टी पेश नहीं करके धारा 27 (2) (d) का उल्लंघन किया है जो क्रमशः धारा 52 एवं 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार जैन ने अधिकार पत्र एवं जवाब मय दस्तावेज पेश किया। जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी होकर छोटे स्तर पर व्यवसाय करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का नमूना जांच हेतु लिया उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण अप्रार्थीगण द्वारा नहीं करके निर्माता कम्पनी द्वारा किया गया हैं निर्माता कम्पनी द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण कर जिस अवस्था में विक्रेता को विक्रय किया हैं विक्रेता द्वारा उसी अवस्था में उसे बेचा जाता है। इस पेय पदार्थ की बोतल पर निर्माता कम्पनी का नाम एवं पूर्ण पता अंकित है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 5 ए में भी उक्त कम्पनी का नाम एवं पता अंकित कर रखा हैं इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ में कोई भी डिफेक्ट के लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होकर निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने का प्रार्थना पत्र में अंकन किया है जो कि सरासर गलत होकर मनगढ़न्त तथ्य है अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता कम्पनी अनुपम एक्वा प्रा. लि. से खरीद करने का खरीद बिल इनवॉयस नम्बर 26 दिनांक 16.04.2017 प्रस्तुत किया फिर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्माता कम्पनी को जान–बुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रकरण में निर्माता कम्पनी को पक्षकार बनाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत हैं जिसकी पुष्टि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अन्तर्गत दस्तावेज क्रमांक 2 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 व 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 19.04.2017 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.04.2017 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) संभाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-931** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 88 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया हैं। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, उदयपुर के द्वारा स्वयं आउटर कवर में सील बन्द नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AF-931** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 20.04.2017 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय, उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी

संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/961 दिनांक 0106.2017 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1) एवं पत्रांक जोन/एफएसएसए/2017/2154 दिनांक 19.12.2017 से विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 2) को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 177/ACT/2017/184 Dated 11-05-2017** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 177/ACT/2017/184 Dated 11-05-2017** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 88 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 27.04.2017 से 11.05.2017 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Carbonated Water (sweetened Carbonated Beverage (RJ-14 Cola) bearing code no. and serial no. AF- 931 of Designated officer (Food Safety) Zonal level Designated officer Cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, Zone, Udaipur is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.** एवं **Brand- RJ-14 Cola, Name of food- Carbonated Water (Sweetened Carbonated Beverage), Mfg. by- Anupam Aqua Pvt. Ltd., Plot No. 214, Udhyog Vihar Ext., Industruial Area, Jetpura Chomu (Jaipur), Batch no.- 18, Mfg date- 10.02.2017, Ingredients-Carbonated Water, Sugar, Natural Food colour (150D)Acidity regulator (338), Class II Preservative (211)Stabilizers (414), Caffene ,Natural and Natural- Identical, artificial flavouring substances. Contains no fruit, Nutritional value- Present, Best before 3 Months- Present, Quantity of sugar---10.2g/100g. Violation of regulation no. 2.2.2(3)(ii), 2.2.2(5) (ii)(b), 2.4.5(38) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.** उक्त नमूना जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सम्भाग स्तरीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-931** चस्पा की गई Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी सम्भाग स्तरीय द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/961 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा विक्रेता (अप्रार्थी संख्या 1) को एवं पत्रांक 2154 दिनांक 19.12.2017 से अप्रार्थी संख्या 2 को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त

रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर द्वारा पत्रांक/जौन/एफएसएसए/2018/230 दिनांक 29.01.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया हैं जो कि दस्तावेज क्रमांक 17 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर हैं। यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (Misbranded) हैं।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर विक्रेता द्वारा निर्माता कम्पनी से माल खरीद करने का बिल प्रस्तुत नहीं करने से निर्माता कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है किन्तु अप्रार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता ने मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्माता कम्पनी अनुपम एक्वा प्राईवेट लि. से माल खरीद करने का बिल इनवॉईस नम्बर 26 दिनांक 16.04.2017 प्रस्तुत करना बताते हुए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में जान–बुझकर निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाने का कथन किया हैं साथ ही अपने जवाब के संलग्न दस्तावेज के रूप में उक्त खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) के क्रय का बिल इनवॉईस नम्बर 26 दिनांक 16.04.2017 प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से अप्रार्थी संख्या 2 ने निर्माता कम्पनी से उक्त खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Beverage (RJ-14Cola) का क्रय किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं 27 (2) (d) एफ. एस. एस. एक्ट, 2006 खारिज किया जाता हैं तथा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में निर्माता कम्पनी को भी पक्षकार संयोजित कर नए सिरे से आवेदन पेश करावें। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़